

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या-912 /IV(3)/2018-03(आश्वासन)/2008
देहरादून: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या-3094/2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-3065/2017(एम0एस0) प्रताप सिंह कुर्वी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, रानीखेत चिलियानौला के गठन की अधिसूचना संख्या-1661/IV(3)/2015-03(आश्वासन)/2008 दिनांक 24-09-2015 को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषद्, रानीखेत चिलियानौला के गठन/परिसीमन के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-715/IV(3)/2018-03(आश्वासन)/2008 दिनांक 10-03-2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार/गठन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-696/IV-3-2018-01 (02न0नि0)/2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 02-04-2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद्, रानीखेत चिलियानौला के गठन के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जनपद अल्मोड़ा के नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अधिसूचित किये जाने से पूर्व भारत के संविधान के भाग 9 के प्रयोजनार्थ नगर पालिका रानीखेत चिलियानौला जनपद अल्मोड़ा के नाम से गठित करने की अधिसूचना जारी करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-1 द्वारा यथोपेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-715/IV(3)/2018-03(आश्वासन)/2008 दिनांक 10-03-2018 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को उक्त नगर पालिका रानीखेत चिलियानौला जनपद अल्मोड़ा का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची-एक

| नगर पालिका में सम्मिलित होने वाले ग्राम | जनसंख्या |
|---|-----------|
| ग्राम बधाण तौक चिलियानौला | लगभग 5100 |

अनुसूची-दो

नगर पालिका के सीमाओं के खसरा नम्बर:-

7234, 7170, 7166, 7163/2, 7163/4, 7154, 7155, 7152, 7151, 7150, 7304,7305, 7309, 7314, 7315, 7135, 7129, 7089, 7090, 7091, 6854, 6855, 6861,6862, 6866, 6850, 6845, 6844, 6843, 6779, 6755, 6767, 6672, 6666, 6665,6664, 6569, 6570, 6574, 6517, 6518, 6516, 6515, 6512, 6511, 6510, 6419,6418, 6399, 6400, 6619, 6340, 6341, 6151, 6153, 6154, 6139, 6140, 6135,6132, 6161,

mv

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| बधाण | 8146 | 0.060 | 8190 | 0.019 | 8237 | 0.010 | 8284 | 0.004 |
| बधाण | 8147 | 0.021 | 8191 | 0.029 | 8238 | 0.010 | 8285 | 0.100 |
| बधाण | 8148 | 0.020 | 8192 | 0.004 | 8239 | 0.055 | 8286 | 0.320 |
| बधाण | 8149 | 0.008 | 8193 | 0.004 | 8240 | 0.080 | 8287 | 0.109 |
| बधाण | 8150 | 0.044 | 8194 | 0.074 | 8241 | 0.026 | 8288 | 1.040 |
| बधाण | 8151 | 0.060 | 8195 | 0.018 | 8242 | 0.031 | 8289 | 0.055 |
| बधाण | 8152 | 0.019 | 8196 | 0.018 | 8243 | 0.005 | 8290 | 0.200 |
| बधाण | 8153 | 0.058 | 8197 | 0.028 | 8244 | 0.015 | 8291 | 0.028 |
| बधाण | 8154 | 0.054 | 8198 | 0.004 | 8245 | 0.060 | 8292 | 0.240 |
| बधाण | 8155 | 0.074 | 8199 | 0.008 | 8246 | 0.035 | 8293 | 0.006 |
| बधाण | 8156अ | 0.070 | 8200 | 0.013 | 8247 | 0.045 | 8294 | 0.035 |
| बधाण | 8156 ब | 0.054 | 8201 | 0.021 | 8248 | 0.020 | 8295 | 0.033 |
| बधाण | 8156 स | 0.018 | 8202 | 0.028 | 8249 | 0.063 | 8296 | 0.021 |
| बधाण | 8156 र | 0.010 | 8203 | 0.033 | 8250 | 0.006 | 8297 | 0.013 |
| बधाण | 8157 | 0.160 | 8204 | 0.026 | 8251 | 0.038 | 8298 | 0.088 |
| बधाण | 8158 | 0.031 | 8205 | 0.083 | 8252 | 0.030 | 8299 | 0.060 |
| बधाण | 8159 | 0.960 | 8206 | 2.000 | 8253 | 0.031 | 8300 | 0.008 |
| बधाण | 8160 | 0.050 | 8207 | 0.140 | 8254 | 0.054 | 8301 | 0.018 |
| बधाण | 8161 | 0.028 | 8208 | 0.014 | 8255 | 0.068 | 8302 | 0.013 |
| बधाण | 8162 | 0.018 | 8209 | 0.061 | 8256 | 0.070 | 8304 | 0.043 |
| बधाण | 8163 | 0.003 | 8210 | 0.004 | 8257 | 0.060 | 8305 | 0.028 |
| बधाण | 8164 | 0.038 | 8211 | 0.010 | 8258 | 0.013 | 8306 | 0.035 |
| बधाण | 8165 | 0.014 | 8212 | 0.024 | 8259 | 0.028 | 8307 | 0.035 |
| बधाण | 8166 | 0.003 | 8213 | 0.020 | 8260 | 0.020 | 8308 | 0.039 |
| बधाण | 8167 | 0.030 | 8214 | 0.019 | 8261 | 0.011 | 8326 | 0.055 |
| बधाण | 8168 | 0.018 | 8215 | 0.026 | 8262 | 0.074 | 8327 | 0.030 |
| बधाण | 8169 | 0.004 | 8216 | 0.003 | 8263 | 0.015 | 8328 | 0.021 |
| बधाण | 8170 | 0.004 | 8217 | 0.009 | 8264 | 0.005 | 8329 | 0.026 |
| बधाण | 8171 | 0.004 | 8218 | 0.005 | 8265 | 0.080 | 8330 | 0.021 |
| बधाण | 8172 | 0.008 | 8219 | 0.010 | 8266 | 0.141 | - | - |
| बधाण | 8173 | 0.008 | 8220 | 0.009 | 8267 | 0.110 | - | - |

(आर०के० सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1)/IV(3)/2018-03(आश्वासन)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या 912 (2) IV(3)/2018-03(आश्वासन) / 2008, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रानीखेत चिलियानौला।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- 934 /IV(3)/2018-1(2न0नि0)/2017

देहरादून: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या-3094/2017(एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या-3348/2017(एम0एस0) मंजू बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के सीमा विस्तार की अधिसूचना संख्या-2297 /IV(3)/2017-1(2न0नि0)/2017, दिनांक 20-11-2017 को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-704 /IV(3)/2018-1(2न0नि0) /2017, दिनांक 10-03-2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-696/IV-3-2018-01 (02न0नि0) /2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या-781/21-6एल0बी0सी0./2016-17, दिनांक 28-03-2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा समिति की उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रमांक 8 में ग्राम फल्टनियों को नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति को छोड़कर शेष संस्तुतियों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची एक में उल्लिखित क्षेत्र को जनपद बागेश्वर के नगर पालिका परिषद बागेश्वर के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा अनन्तिम अधिसूचना संख्या-704 /IV(3)/2018 -1 (2न0नि0)/2017, दिनांक 10-03-2018 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (घ) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर के नगर पालिका परिषद बागेश्वर, जनपद बागेश्वर का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची-एक

| क्र0 | राजस्व ग्राम का नाम | जनसंख्या (2011 के अनुसार) | क्षेत्रफल (है0) | गाटा संख्या |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | कठायतबाड़ा | 3169 | 95.896 | 1-3656 |
| 2 | भतरौला | 754 | 22.165 | 1-1112 |
| 3 | जोग्याणीरौ | 117 | 23.509 | 1-769 |
| 4 | बिनवाल तिवाड़ी | 155 | 7.030 | 1-240 |
| 5 | बलसूना | 200 | 5.180 | 1-196 |
| 6 | डिंगरौ | 97 | 7.031 | 1-217 |
| 7 | जुलकिया | 45 | 19.283 | 1-503 |
| 8 | कफलखेत | 458 | 23.538 | 1-738 |
| 9 | मजियाखेत | 949 | 28.083 | 1-583 |
| 10 | सैज | 720 | 13.474 | 1-391 |
| 11 | द्वाली | मानवरहित | 9.248 | 1-22 |
| 12 | बड़ेत | 319 | 35.453 | 1-723 |
| 13 | त्यूनरा | 230 | 14.675 | 1-409 |
| 14 | बिलौनासेरा | 2342 | 122.010 | 1-4860 |
| 15 | मिनहराबूंगा | 374 | 35.411 | 1-1014 |

| | | | | |
|----|----------------|-------|---------|---------|
| 16 | भिटौलगांव | | 32.060 | 1-563 |
| 17 | चौरासी (आंशिक) | 85 | 35.633 | 1-1607 |
| 18 | गाड़गांव | 366 | 23.266 | 1-1010 |
| 19 | छुरमल | 80 | 9.106 | 1-211 |
| 20 | मण्डलसेरा | 5506 | 170.257 | 1-10831 |
| | कुल | 15966 | 732.308 | |

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1) / IV(3)/2018-1(2न0नि0) / 2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या- (2) / IV(3)/2018-1(2न0नि0) / 2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बागेश्वर।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या- 935 /IV(3)/2018-01(15)/2013
देहरादून: दिनांक ०५ अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या-3094/2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या-2273/2017(एम0एस0) ग्राम सभा जिवाला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में नगर पंचायत, लम्बगांव के गठन की अधिसूचना संख्या-3063/IV(3)/2016-01(15)/2013 दिनांक 26-02-2016 को निरस्त करते हुए नगर पंचायत, लम्बगांव के गठन के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-711/IV(3)/2018-01(15)/2013 दिनांक 10-03-2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार/गठन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-696/IV-3-2018-01 (02न0नि0)/2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-मेमो कैम्प/21-09/एल0बी0सी0/2018, दिनांक 05-04-2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए नगर पंचायत, लम्बगांव के गठन के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1916) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), सपठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र के रूप में नगर पंचायत लम्बगांव के नाम से गठित किये जाने के लिये भारत के संविधान के भाग 9क के प्रयोजनार्थ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-711/IV(3)/2017-01(15)/2013 दिनांक 10-03-2018 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत लम्बगांव, जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा:-

अनुसूची-एक

| क्र0 सं0 | ग्राम/क्षेत्र का नाम | कुल जनसंख्या | ग्राम का कुल खसरा संख्या | रकवा (हेक्टेयर में) |
|----------|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | जिवाला | 310 | 717 | 20.778 |
| 2 | लम्बगांव बाजार | 366 | | |
| 3 | नौघर | 220 | 4582 | 12.329 |
| 4 | नौघराल | 165 | | |
| | कुल योग | 1061 | 5299 | 33.107 |

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या- 937/IV(3)/2018-1(17)/2012टी0सी0 2
देहरादून: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या-3094/2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या-3089/2018(एम0एस0) प्रमोद कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-523/2018(एम0एस0) ललित सिंह मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में, रिट याचिका संख्या-515/2018(एम0एस0) रीता कर्नाटका बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में, रिट याचिका संख्या-536/2018(एम0एस0) नरेश नोगई बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में, रिट याचिका संख्या-534/2018 (एम0एस0) प्रेमा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में नगर पंचायत, भीमताल के सीमा विस्तार की अधिसूचना संख्या-2295/IV(3)/2017-1(17)/2012टी0सी0 2, दिनांक 20-11-2017 को निरस्त करते हुए नगर पंचायत, भीमताल के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-712/IV(3)/2018-1(17)/2012 टी0सी 2, दिनांक 10-03-2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-696/IV-3-2018-01 (02न0नि0) /2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या-2242/स्थ.नि./17 -2018, दिनांक 31-03-2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए नगर पंचायत, भीमताल के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची एक में उल्लिखित क्षेत्र को जनपद नैनीताल के नगर पंचायत भीमताल के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा अनन्तिम अधिसूचना संख्या-712/IV(3)/2018-1(17)/2012 टी0सी 2, दिनांक 10-03-2018 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (घ) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर पंचायत भीमताल, जनपद नैनीताल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा:-

अनुसूची-एक

| क्र0 सं0 | ग्राम का नाम | वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या | ग्राम का खसरा नं0 | रकबा नं0 (हे0) |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1 | ग्राम सभा मेहरा गांव/ल्वेशाल (आंशिक भाग) | 2672 | 01 से 4829 | 222.321 (आंशिक) |
| 2 | ग्राम सभा जूनस्टेट/भग्त्यूड़ा (संपूर्ण भाग) | 676 | 01 से 1407 | 414.772 (संपूर्ण) |
| 3 | ग्राम सभा ढुंगसिल, ढुंगसिल रावत, ढुंगसिल साह, ढुंगसिल मल्ला, पाण्डेगांव, बोहरागांव, थपलिया मेहरागांव, नोल, बिजरोली, सिलोटीपंत (आंशिक भाग) | 2892 | 01 से 8958 | 561.805 (आंशिक) |
| 4 | ग्राम सभा सौनगांव, बहेड़ी गांव (आंशिक), सांगुड़ी गांव | 824 | 01 से 4104 | 258.412 (आंशिक) |
| | योग | 7064 | | 1457.308 |

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या- 933 /IV(3)/2018-9(06)/2014
देहरादून: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या-3094/2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व रिट याचिका संख्या-236/2018(एम0एस0) उप प्रधान ग्राम सभा मारखमग्रांट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, डोईवाला के सीमा विस्तार की अधिसूचना संख्या-2299/IV(3)/2017-9(06)/2014 दिनांक 20-11-2017 एवं अधिसूचना संख्या-119/IV(3)/2018-9(06)/2014 दिनांक 10-01-2018 को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषद, डोईवाला के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या-705/IV(3)/2018-9(06)/2014, दिनांक 10-03-2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-696/IV-3-2018-01 (02न0नि0) /2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या-579/एल0बी0सी0-2017-18, दिनांक 28-03-2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद, डोईवाला के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है:-

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची एक में उल्लिखित क्षेत्र को जनपद देहरादून के नगर पालिका परिषद डोईवाला के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा अनन्तिम अधिसूचना संख्या-705/IV(3)/2018-9(06)/2014, दिनांक 10-03-2018 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (घ) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर के नगर पालिका परिषद डोईवाला, जनपद देहरादून का प्रादेशिक क्षेत्र होगा तथा अनुसूची दो में उल्लिखित क्षेत्र नगर पालिका परिषद, डोईवाला का प्रादेशिक क्षेत्र नहीं होगा:-

अनुसूची-एक

| क.सं. | ग्राम सभा | राजस्व ग्राम का नाम | क्षेत्रफल (है0में) | वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या |
|-------|------------|---|------------------------------|--|
| 1 | लच्छीवाला | 1-लच्छीवाला 2-मिश्रवाला कलां 3- मिश्रवाला खुर्द | 116.315 116.391 40.473 | 1686 794 106 |
| 2 | मारखग्रांट | 4- मारखग्रांट प्रथम (आंशिक) | 668.959 | 11671 |
| 3 | घिसरपड़ी | 5-डोईवाला 6-घिसरपड़ी 7-हंसूवाला | 70.677 116.460 68.233 | 623 997 697 |
| 4 | डैशवाला | 8- डैशवाला | 75.738 | 4515 |
| 5 | कान्हरवाला | 9-कान्हरवाला 10-बारुवालाग्रांट 11-संगतियावाला खुर्द | 156.640 33.461 66.656 | 3739 465 580 |
| 6 | अदूरवाला | 12-अदूरवाला | 686.9490 | 7444 |
| 7 | भानियावाला | 13-भानियावाला | 279.336 | 4572 |
| 8 | जौलीग्रांट | 14-जौलीग्रांट | 764.544 | 9297 |
| | कुल योग | | 3260.832 | 47186 |

अनुसूची-दो

| क्र.सं. | ग्राम सभा | राजस्व ग्राम | क्षेत्रफल (है० में) | जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार | हटाये जाने वाले मजरे का नाम |
|---------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 1 | मरखमग्रांट | मारखमग्रांट प्रथम | 434.84 | 3923 | मजरे-धर्मूचक, खैरी प्रथम, खैरी द्वितीय, खत्ता आंशिक, छिदम्मीवाला, बाजावाला आंशिक |

(आर०के० सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1)/IV(3)/2018-9(06)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 932 (2)/IV(3)/2018-9(06)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, देहरादून।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद डोईवाला।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।